झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1286 वर्ष 2017

उदय चंद्र प्रकाश .... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम्

1. झारखंड राज्य द्वारा सचिव/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग जिनका कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, टाउन एवं जिला–राँची में है।
2. जिला उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति, बोकारो, डाकघर और जिला–बोकारो।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद सेन**

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए :– श्री मनोज टंडन, अधिवक्ता, श्री रजनीश आनंद, अधिवक्ता

उत्तरदाता(ओं) के लिएः– ए0ए0जी0 का ए0सी0

05/31.01.2019

इस रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:–

1) प्रत्यर्थीगण, विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं0 2 पर निर्देश देने के लिए कि वे याचिकाकर्ता को वर्ग–3 पद पर नियुक्ति के लिए विचार करे न कि वर्ग–4 पद पर जिस पर याची को प्रत्यर्थी सं0 2 के कार्यालय से दिनांक 14.03.2008 के ज्ञापन सं0 203 में निहित

आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय श्री मोची की मृत्यु 17.08.2005 को सर्किल कार्यालय, पेटरवार, बोकारो में प्रधान सहायक के रूप में कार्यरत और पदस्थापित होने के दौरान सेवाकाल में हो गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता की योग्यता नियुक्ति के समय अर्थात् 14.03.2008 को इंटरमीडिएट थी और ऐसे कई व्यक्ति हैं, जिन्हें याची की नियुक्ति से पहले या बाद में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया था, इस आधार पर कि उनकी अर्हतास इंटरमीडिएट पद की थी।

2) प्रत्यर्थी सं0 2 पर निर्देश के लिए कि वह याची के मामले पर पुनर्विचार करे और जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति, बोकारो, दिनांक 28.07.2014 की बैठक में लिए गए निर्णय, जैसा कि 12.08.2014 दिनांकित ज्ञापन सं0 419/स्था0 द्वारा परिचालित किया गया था, के आलोक में याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी के पद के स्थान पर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाए।

3) प्रत्यर्थियों को, याचिकाकर्ता को सभी पारिणामिक लाभों का भुगतान करने का निर्देश देना।

4) किसी अन्य उपयुक्त राहत के लिए, जिसके लिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता हकदार पाया गया है और साथ ही याचिकाकर्ता के साथ विवेकपूर्ण न्याय करने के लिए भी।

याची के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याची अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–III के पद पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त रूप से योग्य है, लेकिन प्रत्यर्थियों ने वर्ग–IV के पद पर

याची को नियुक्त करके गंभीर अवैधता और अन्याय किया है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा है कि इसी प्रकार स्थित व्यक्तियों को लाभ दिया गया है और उन्हें अनुकम्पा के आधार पर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता, प्रति–शपथपत्र के पैरा सं0 14 पर भरोसा करते हैं, जो डी0आर0डी0ए0 के निदेशक बोकारो और प्रतिष्ठान के प्रभारी उप कलेक्टर द्वारा शपथ ली गई है कि याचिकाकर्ता का मामला विचाराधीन है।

जवाबी हलफनामे में किए गए प्रकथन को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रत्यर्थी सं0 2, उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति, बोकारो को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर, जैसा कि प्रति–शपथपत्र में कहा गया है, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देता हूँ।

उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, तत्काल रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)